रामस्वरूप वगैरा बनाम रामचरण वगैरा
T.I.

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	12-3-2016 पत्रावली आज लोक अदालत में पेश हुई। अप्रार्थीगण के वकील उपस्थित नहीं हैं। वकील प्रार्थीगण उपस्थित हैं। कई बार आवाज दिलाने पर भी अप्रार्थीगण व उनके वकील उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। वकील प्रार्थीगण को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण का T.I. प्रा०पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के ताफैसला दावा T.I. आदेश से पाबंद किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे। (रविकुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी (गोरधनलाल शर्मा) सेवानिवृत तहसीलदार सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी (मुनिदेव यादव) अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	

[illegible]
एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
113/2015	10.08.2015	12.03.2016

1. रामस्वरूप पुत्र मूला, गुर्जर निवासी फरासपुर तहसील गंगापुर सिटी
2. रामकिशन पुत्र मूला, गुर्जर निवासी फरासपुर तहसील गंगापुरसिटी——सायलान

बनाम

1. रामचरण पुत्र मिलखे, गुर्जर निवासी फरासपुर तहसील गंगापुर सिटी
2. जीतराम पुत्र मिलखे, गुर्जर निवासी फरासपुर तहसील गंगापुर सिटी
3. शिवसिंह पुत्र जीतराम, गुर्जर निवासी फरासपुर तहसील गंगापुर सिटी
4. प्रेमसिंह पुत्र जीतराम, गुर्जर निवासी फरासपुर तहसील गंगापुर सिटी
5. रामनिवास पुत्र हरभान, गुर्जर निवासी फरासपुर तहसील गंगापुर सिटी
6. चेतराम पुत्र रामनिवास, गुर्जर निवासी फरासपुर तहसील गंगापुर सिटी
7. जितेन्द्र पुत्र रामनिवास, गुर्जर निवासी फरासपुर तहसील गंगापुर सिटी
8. सुनील पुत्र रामनिवास, गुर्जर निवासी फरासपुर तहसील गंगापुर सिटी
9. रूपसिंह पुत्र हंसराज, गुर्जर निवासी फरासपुर तहसील गंगापुर सिटी
10. ज्ञानसिंह पुत्र हंसराज, गुर्जर निवासी फरासपुर तहसील गंगापुर सिटी

——गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, सायलान की ओर से

निर्णय

सायलान ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया है कि भूमि ख0नं0 189 रकबा 30 एयर ग्राम फरासपुर तहसील गंगापुर सिटी सायलान की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जिससे गैरसायलान का व अन्य किसी का कोई वास्ता नहीं है। गैरसायलान झगडालू किस्म के व सरकारी तथा मंदिर की भूमि पर कब्जा कर उन पर भूखण्ड बेचने के आदी है। इस बाबत् प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 3.7.2015 को थानाधिकारी सदर थाना गंगापुर सिटी को दिया कि गैरसायलान मंदिर गंगाजी की भूमि ख0नं0 191, 192, 193 ग्राम फरासपुर पर कब्जा करने की नियत रखते हैं तथा इसके साथ ही सायलान की भूमि पर भी कब्जा करना चाहते हैं। इस प्रार्थनापत्र से गैरसायलान नाराज हो गए एवं दिनांक 13.7.2015 को सायलान के खेत ख0नं0 189 पर आ गए तथा सायलान को धमकी दी कि अभी तो हम मंदिर की भूमि पर ही कब्जा करते आए हैं अब मंदिर की भूमि से लगे तुम्हारे खेत पर भी कब्जा करेंगे। गैरसायलान ने दिनांक 13.7.2015 को धमकी दी है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबंद फरमाया जावे कि वे ताफैसला दावा सायलान को उनकी खातेदारी भूमि ख0नं0 189 रकबा 30 एयर ग्राम फरासपुर तहसील गंगापुर सिटी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी

5

प्रकार की बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करें ना ही किसी अन्य से करावें ना ही खेत की डौल मेड तोडकर जबरन खेत में प्रवेश करें तथा ना ही किसी अन्य से करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को तलव किया गया। गैरसायलान बाबजूद सूचना हाजिर नहीं हुए अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में सायलान ने फोटोकोपी नकल नक्शा ट्रेस हाल, नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 पेश की है।

बहस विद्वान वकील सायलान सुनी गई ।

सायलान के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया । सायलान की ओर से प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार वादग्रस्त भूमि ख0नं0 189 रकबा 30 एयर ग्राम फरासपुर सायलान की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। गैरसायलान ने इस भूमि के सम्बन्ध में कोई उज्र भी पेश नहीं किया है। प्रथम दृष्टया प्रकरण सायलान के पक्ष में है। गैरसायलान को कोई अधिकार नहीं है कि वे सायलान को उनके खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि के उपयोग उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न करें फलस्वरूप सायलान गैरसायलान के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार सायलान द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे मूल वाद के निर्णय तक सायलान को उनकी खातेदारी की भूमि ख0नं0 189 रकबा 30 एयर ग्राम फरासपुर तहसील गंगापुर सिटी के कब्जे काश्त में कोई बाधा नहीं डालें एवं डौल मेड नहीं तोडें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मुनिदेव यादव)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी